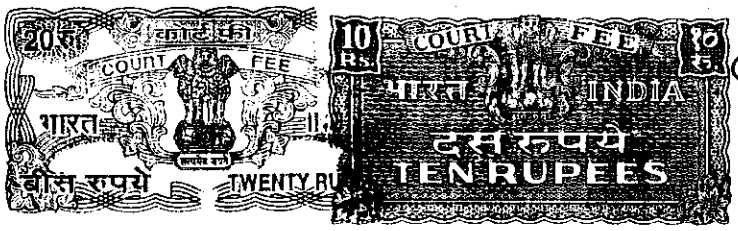

174

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

निग -1909- I-16

प्रकरण कमांक -एक/2016 निगरानी

रामदास पुत्र धर्मा

जाति अहिरवार (अनुसूचित जाति)

ग्राम सुन्दरपुर तहसील टीकमगढ़

जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश

---आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा

कलेक्टर जिला टीकमगढ़

---अनावेदक

(निगरानी अंतर्गत धारा 50 , मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,1959 - अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 71 बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 31-8-2015 के विरूद्ध)

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक 1909–एक/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों त अभिभाषक
17.10.16	यह निगरानी अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 71 बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 31–8–2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 36 अ –19 (4)/1986–87 में पारित आदेश दिनांक 20–5–1986 से आवेदक रामदास पुत्र धर्मा अहिरवार के नाम ग्राम बकपुरा की भूमि सर्वे कमांक 505/6 रकबा 2.000 हैक्टर मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध अधिनियम) 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापित करते हुये पट्टा प्रदान किया। अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 31.8.15 के पद 2 में अभिलिखित अनुसार यह भूमि आवेदक के नाम खसरा पॅचशाला 2003–04 से वर्ष 2009 में प्रविष्टि पाई गई कि नायब तहसीलदार वृत्त समर्रा के प्रकरण कमांक 12 बी–121/अ–6–अ/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 4–8–2003 से मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज की गई है। आवेदक व्दारा प्रस्तुत अभिलेख एंव निगरानी मेमो के तथ्यों अनुसार भूमि का पट्टा मिलने एंव खसरा पटवारी व्दारा मौके पर नप्ती करके भूमि चिन्हांन उपरांत देने के वाद	

हलका पटवारी ने नामान्तरण पंजी में पटटे का अमल किया है खसरा वर्ष 1989 लगायत 1993 एंव खसरा पंचशाला 1993 लगायत 1997 तक निरन्तर भूमि आवेदक के नाम भूमिस्वामी के रूप में अभिलिखित रही है। आवेदकगण के अनुसार हलका पटवारी ने स्वस्तर से बिना सक्षम अधिकारी का आदेश लिये नवीन खसरा बनाते समय नायब तहसीलदार का गलत प्रकरण नंबर 12 बी-121/अ-6-अ/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 4-8-2003 डालकर भूमि शासकीय अंकित कर दी। इस कार्यवाही को करते समय पटवारी अथवा किसी राजस्व अधिकारी ने आवेदक को कोई नोटिस/सूचना जारी नहीं की एंव सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया। जब आवेदकगण को पटवारी व्दारा की गई गलत प्रविष्टि का पता चला, तब उन्होंने अपर कलेक्टर टीकमगढ़ को संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन देकर शासकीय अभिलेख में उनके नाम की चली आ रही प्रविष्टि यथावत् करने की मांग रखी। अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 71 बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 31-8-2015 से आवेदक का आवेदन अमान्य कर दिया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि तहसीलदार टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 36 अ-19(4)

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक 1909–एक/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के
	/1986–87 में पारित आदेश दिनांक 20–5–1986 से वाद विचारित भूमि आवेदक के नाम आवंटित की है । आवेदक ने पटटे की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से यह सही है कि आवेदक के नाम ग्राम बकपुरा की भूमि सर्वे कमांक 505/6 रकबा 2.000 हैक्टर मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापित करते हुये पटटा प्रदान किया गया है इस प्रमाणित प्रतिलिपि के खण्डन पर अनावेदक के अभिभाषक मौन रहे हैं। 5/ आवेदक को तहसीलदार टीकमगढ़ ने आदेश दिनांक 20–5–1986 से ग्राम बकपुरा की भूमि सर्वे कमांक 505/6 रकबा 2.000 हैक्टर व्यवस्थापित करते हुये भूमिस्वामी अधिकारों की मंजूरी के लिये प्रदत्त पटटा दिनांक 20–5–1986 प्रदान किया है । यह पटटा तहसील व्दारा जारी प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है जिसके कारण इस अभिलेख पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है । आवेदक का नाम खसरा वर्ष 1989 लगायत 1993 एंव खसरा पंचशाला 1993 लगायत 1997 तक निरन्तर भूमिस्वामी के रूप में अभिलिखित रहा है इस प्रकार आवेदक व्यवस्थापिती होकर भूधारी है, ऐसा आभाषित है कि	

अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्र0क0 71 बी-121/14-15 में आदेश दिनांक 31-8-2015 पारित करते समय उक्त अभिलेखों की अनदेखी की है जिसके कारण अपर कलेक्टर व्दारा पारित आदेश दिनांक 31-8-15 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ तहसील न्यायालय से आवेदकगण को जारी की गई खसरा वर्ष 1989 लगायत 1993 एंव खसरा पंचशाला 1993 लगायत 1997 की प्रमाणित प्रतिलिपि से स्पष्ट है कि आवेदक का नाम वादोक्त भूमि पर भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है किन्तु आगे के खसरा बनाते समय बिना सक्षम अधिकारी का आदेश प्राप्त किये तत्कालीन पटवारी ने नायव तहसीलदार वृत्त समर्रा के (बिना मूल प्रकरण के) प्रकरण कमांक 12 बी-121/अ-6-अ/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 4-8-2003 अंकित करते हुये भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज की है। पटवारी की इस वावत् तत्समय क्या शोच रही है वर्तमान में अन्दाज लगाया जाना संभव नहीं है, किन्तु आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को बिना सक्षम आदेश के हलका पटवारी ने नवीन खसरा बनाते समय उनका नाम हटाकर शासकीय लिखना प्रमाणित है । हलका पटवारी को बिना सक्षम आदेश के खसरे से भूमिस्वामी के नाम को विलोपित करने की शक्तियॉ नहीं है। इस सम्बन्ध में म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 117 इस प्रकार है :-

"धारा 117 - भू अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा - भू अभिलेखों में इस अध्याय के अधीन की गई समस्त प्रविष्टियों के

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण क्रमांक 1909-एक/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषक

बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वे सही हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। ''

गंभीर सिंह तथा अन्य वि. कल्याण तथा अन्य 2000 रा0नि0 61 में न्यायमूर्ति श्री आर0पी0गुप्ता (हा0को0) ने व्यवस्था दी है कि (यद्यपि राजस्व लेखों की प्रविष्टियां खण्डन करने योग्य हैं परन्तु यदि प्रविष्टि का खण्डन नहीं होता है तो उसके सही होने का अनुमान किया जाये। जब दशकों से निरन्तर प्रविष्टि चली आ रही है तो उसके सही होने का अनुमान किया जायेगा).

गनी खान वि. अपना वाई 1883 एम0पी0एल0जे0 304 = 1983 रा.नि. 213 उच्च न्यायालय में व्यवस्था दी गई है कि (जब खसरा की प्रतिलिपि उचित रूप से सत्य प्रमाणित हो और नियमानुसार दी गई हो तो साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य होगी).

विचाराधीन प्रकरण में भी यही स्थिति है एंव शासन के पैनल लायर प्रस्तुत अभिलेख का खण्डन भी नहीं कर सके हैं जिसके कारण प्रस्तुत अभिलेख पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा पारित आदेश दिनांक 31-8-2015 में दस्तावेजी अभिलेख की अनदेखी करना प्रतीत हुआ है जिसके कारण अपर कलेक्टर व्दारा पारित आदेश दिनांक 31-8-15 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वर्ष 1966 में भूमि व्यवस्थापन उपरांत कब्जा प्राप्ति के बाद से

वादोक्त भूमि को आवेदक ने पड़त से कृषि योग्य बनाया है तथा समतल करने में काफी मेहनत की है। सिंचाई साधन बनाने में काफी धन खर्च किया है, यदि वर्ष 1986 में दी गई भूमि उनसे वर्ष 2016 में (30 वर्ष वाद) वापिस ली जाती है तब आवेदक को परिवार का पालन–पोषण करना मुश्किल हो जावेगा। यदि आवेदक के अभिभाषकं व्दारा प्रस्तुत तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय –

1. **इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की सकती – प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।**
2. **देवी प्रसाद विरूद्व नाके J.L.J. 155= 1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवन्टन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटिति को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त । तत्पश्चात् आवन्टन रद्व नहीं किया जा सकता।**

विचाराधीन प्रकरण में हलका पटवारी ने अधिकारविहीन कार्यवाही करते हुये आवेदक के नाम की खसरे में चली आ रही भूमिस्वामी स्वत्व की प्रविष्टि को विलोपित कर नवीन खसरा बनाते समय नायव तहसीलदार का फर्जी प्रकरण कमांक 12 बी–121/अ–6–अ/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 4–8–2003 अंकित करते हुये वादग्रस्त भूमि शासकीय अंकित करने की त्रृटि की है जिसके कारण आवेदक को व्यर्थ मुकदमेवाजी में उलझलना पड़ा है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 71 बी–121/2014–15 में आदेश दिनांक 31–8–2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है । साथ ही पटवारी

XXXIX(a)-BR (II)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण कमांक 1909–एक/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों के हस्ताक्षर
	द्वारा नायब तहसीलदार का फर्जी प्रकरण क्रमांक 12 बी–121/अ–6–अ/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 4–3–2003 का अंकन भी त्रुटिपूर्ण होना पाने के कारण निरस्त करते हुये तहसीलदार टीकमगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम बकपुरा की भूमि सर्वे कमांक 505/6 रकबा 2.000 हैक्टर पर चालू वर्ष के खसरे (कम्प्यूटराईज्ड खसरा सहित) में आवेदक रामदास पुत्र धर्मा अहिरवार के नाम की प्रविष्टि भूमिस्वामी के रूप में अंकित करावें। सदस्य	